न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 24/2024

प्रार्थी –

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –

1. आनन्द छाजेड़ पुत्र छगनलाल जाति जैन निवासी जूना केराडू मार्ग, डोला डूंगरी, बाडमेर (मैसर्स निधान ट्रेडिंग सी/ओ जितेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जे–2 कृषि मण्डी बाडमेर का विक्रेता)
2. सीमा जैन पत्नि श्री आनन्द छाजेड़ निवासी जूना केराडू मार्ग, डोला डूंगरी, बाडमेर (मैसर्स निधान ट्रेडिंग सी/ओ जितेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जे–2 कृषि मण्डी बाडमेर की मालिक)
3. मदनलाल जैन पुत्र बाबूलाल निवासी रैन बसेरा के पीछे, वार्ड नं. 10, बाडमेर (मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, कीर्ति मोटर्स के पास, चौहटन रोड़, बाडमेर का विक्रेता व मालिक)
4. महेश कुमार चाण्डक पुत्र भंवरलाल निवासी गांव तलिया गिलाकोर जोधपुर (मैसर्स अमर ज्योति फूड प्रोडेक्ट, प्लॉट नं. 2, खसरा नंबर 277/2, बंग नगर, माता का थान, जोधपुर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नरेश छाजेड़ अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

आदेश

दिनांक : 15.12.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान **मैसर्स निधान ट्रेडिंग सी/ओ जितेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जे–2 कृषि मण्डी बाडमेर** पर निरीक्षण दिनांक **05.07.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **कम्पाण्डेड हींग (महाराजा ब्राण्ड)** 100–100 ग्राम के 25 प्लास्टिक कंटेनर मूल ही सिल्ड अवस्था में भरी हुई थी, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 08 प्लास्टिक कंटेनर **कम्पाण्डेड हींग (महाराजा ब्राण्ड)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2462** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **कम्पाण्डेड हींग (महाराजा ब्राण्ड)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **21.02.2024** में उक्त खाद्य पदार्थ **कम्पाण्डेड हींग (महाराजा ब्राण्ड)** का नमूना को **अवमानक (Sub-standard)** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जूर्म स्वीकार करते हुए नरम दृष्टि बनाए रखने हेतु निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **21.02.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का पाया गया है। नमूना जांच रिपोर्ट में **Alcoholic extract** का मानक स्तर न्यूनतम **not less than 5.0%** के मुकाबले **4.36%** पाया गया जो मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप–धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जूर्म स्वीकार करते हुए नरम दृष्टि बनाए रखने हेतु निवेदन किया

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं बाडमेर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

है। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 10,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)